न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।
जिला:- कटिहार (बिहार)

Session Trial No.- 146/2007
G.R.No.- 1343/2006, C.I.S. No.- 1660/2014

सरकार द्वारा (सुरेश परिहार पिता मधुसूदन परिहार)
सा०मौ०:- कुसियारी, थाना:- प्राणपुर,
जिला:- कटिहार, बिहार। :..अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. सुखदेव परिहार उर्फ सुखदेव चौधरी पे० स्व० छेदी परिहार, उ०त० 65 वर्ष,
2. सबिता देवी पति सुखदेव परिहार उर्फ सुखदेव चौधरी, उ०त० 55 वर्ष,

दोनों निवासी सा०मौ०:- कुसौल, थाना:- आजमनगर,
जिला:- कटिहार, बिहार। :..बचाव पक्ष।
थाना:- आजमनगर।
प्राथमिकी संख्या:- 102/2006 दिनांक 23.09.2006।
प्राथमिकी अंतर्गत:- धारा 304(B) भा०दं०वि०।
संज्ञान अंतर्गत:- धारा 304(B)/34 भा०दं०वि०।
आरोप अंतर्गत:- धारा 304(B)/34 भा०दं०वि०।
अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री :.................. सरदार यसवंत सिंह।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री :.................................. मो० हस्सान।
निर्णय तिथि: 19:05:2026
उपस्थिति: महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम, कटिहार।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सुखदेव परिहार उर्फ सुखदेव चौधरी एवं सबिता देवी के विरुद्ध धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दहेज़ की मांग पूरा नहीं किये जाने के कारण अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में अनीता देवी की गर्दन दबा कर हत्या कर दिया है।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि प्रस्तुत मामले का सूचक सुरेश परिहार ने आजमनगर पुलिस निरीक्षक श्री राम सिंह को दिनांक 23.09.2006 दिन शुक्रवार समय करीब 2 बजे दिन में अपनी मृतक बेटी अनीता देवी पति मोहन चौधरी के दरवाजा पर फर्द बयान दिया कि मैंने अपनी बेटी अनीता देवी की शादी करीब दो मांह पहले मोहन चौधरी पुत्र सुखदेव चौधरी के साथ किया था। शादी में जो तय हुआ था, उसका 600/- रूपया बाकी था। शादी के बाद से ही मेरा दामाद मोहन चौधरी धमकी देते थे कि 600/- रूपया नहीं देने पर अनीता देवी को जान से मार देंगे। कल दिनांक 22.09.2006 को समय करीब 3:00 बजे दिन में सपन मंडल मेरे घर पर गए तथा बोले कि आपकी बेटी सीरियस बीमार है। तब मैं अपने गांव के अन्य लोगों के साथ गांव कुसौल आए तो देखे कि मेरी बेटी बरामदा पर मृत अवस्था में पड़ी है। मेरी बेटी के नाक से खून निकल रहा था तथा गला फूला हुआ था। अगल-बगल के लोगों से पूछने पर पता चला कि दिनांक 21.09.2006 को रात्रि में ही मेरा दामाद मोहन चौधरी पे० सुखदेव चौधरी, समधी सुखदेव चौधरी पुत्र स्व० छेदी चौधरी एवं सबिता देवी पति सुखदेव चौधरी सभी निवासी साकिन- कुसौल, थाना- आजमनगर ने मेरी बेटी अनीता देवी की गर्दन दबाकर हत्या कर दिए हैं। मेरा दावा है कि उपरोक्त तीनों लोग दहेज नहीं मिलने के

कारण मेरी बेटी अनीता देवी की गला दबाकर हत्या कर दिए हैं। लगातार बारिश होने के कारण थाना पर सूचना देने में विलंब हुआ।

3. सूचक सुरेश परिहार के फर्द बयान के आधार पर आजमनगर पुलिस द्वारा प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. मोहन चौधरी पे० सुखदेव चौधरी, 2. सुखदेव चौधरी पुत्र स्व० छेदी चौधरी एवं 3. सबिता देवी पति सुखदेव चौधरी के विरुद्ध आजमनगर थाना काण्ड संख्या- 102/2006 दिनांक 23 .09.2006 अंतर्गत धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० में प्राथमिकी पंजीबद्धकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोहन चौधरी पे० सुखदेव चौधरी के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अन्य प्राथमिकी अभियुक्त 2. सुखदेव चौधरी पुत्र स्व० छेदी चौधरी एवं 3. सबिता देवी पति सुखदेव चौधरी को भा०दं०वि० की धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोपित करते हुये आरोप-पत्र संख्या- 01/2007 दिनांक 12.01.2007 न्यायालय में समर्पित किया गया, तदुपरान्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक 17.01.2007 को प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. सुखदेव चौधरी एवं 2. सबिता देवी के विरुद्ध धारा 304(B)/34 भा० दं०वि० के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला बनता पाकर अपराध का संज्ञान लिया गया और दिनांक 05. 04.2007 को मामला विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय में दौरा सुपुर्द होकर विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है।

4. मामले के दौरा सुपुर्द किये जाने के बाद त्वरित न्यायालय, तृतीय, कटिहार द्वारा दिनांक 29.05 .2007 को अभियुक्त 1. सुखदेव चौधरी एवं 2. सबिता देवी के विरुद्ध धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० अन्तर्गत आरोप गठन हेतु पर्याप्त सामग्री पाकर आरोप का गठनकर खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया जिससे अभियुक्तों द्वारा इनकार करते हुये विचारण का दावा किया गया। अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु विभिन्न न्यायालय से होता हुआ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है और आज निर्णय हेतु नियत है।

5. अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् अभियुक्तों का बयान दिनांक 22.05.2019 को द०प्र०सं० की धारा 313 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्तों ने अभियोजन के घटनाक्रम से पूर्णत: इनकार किया गया तथा मृतिका से दहेज के लिये मारपीट करने तथा दहेज नहीं मिलने पर गला दबाकर उसकी हत्या कारित किये जाने की बात से इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया।

6. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन मौखिक एवं प्रलेखी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में मृतिका अनीता देवी की दहेज़ के लिये गला दबाकर कर हत्या कर दिये जाने के आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे सिद्ध करने में पूर्णत: सफ़ल रहा है अथवा नहीं ?

अभियोजन साक्ष्य

7. इस मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप को सावित करने के लिये न्यायालय के समक्ष कुल 9 साक्षियों का मौखिक साक्ष्य कराया गया है, जो क्रमशः निम्नवत हैं-

अभियोजन साक्षी संख्या- 1. (PW- 1) पृथ्वी परिहार (स्वतंत्र साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या- 2. (PW- 2) योगेंद्र परिहार (मृतिका के चाचा)
अभियोजन साक्षी संख्या- 3. (PW- 3) अशोक परिहार (मृतिका का भाई)
अभियोजन साक्षी संख्या- 4. (PW- 4) मोहम्मद हबीब आलम (स्वतंत्र साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या- 5. (PW- 5) सुबोध कुमार दास (स्वतंत्र साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या- 6. (PW- 6) सुरेश परिहार (स्वयं सूचक) मृतिका का पिता
अभियोजन साक्षी संख्या- 7. (PW- 7) रेवती देवी मृतिका अनीता देवी की माँ
अभियोजन साक्षी संख्या- 8. (PW- 8) भुवन परिहार (स्वतंत्र साक्षी)

अभियोजन साक्षी संख्या- 9. (PW- 9) चिकित्सक, डॉक्टर रामरेखा सुमन

8. अभियोजन द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोप को सावित करने के क्रम में प्रस्तुत किया गया दस्तावेजी साक्ष्य निम्नवत है:-

प्रदर्श- P- 1/PW- 9. पोस्टमार्टम प्रतिवेदन।

9. प्रस्तुत मामले के अभियुक्तों के विरुद्ध तय किये गये आरोप धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० को सावित करने के क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या- 1. पृथ्वी परिहार (PW- 1) जख्मी साक्षी ने दिनांक 20.09.2007 को मुख्य परीक्षण के कंडिका 1 में बयान दिया है कि घटना एक वर्ष पूर्व की है। कुसौल गांव से एक आदमी हमारे गांव में आया एवं कहा कि अनीता देवी बीमार है। अनीता देवी सुरेश परिहार की बेटी थी। अनीता देवी की शादी मोहन परिहार ग्राम- कुसौल के साथ घटना के डेढ़ माह पूर्व हुई थी। बीमारी की खबर सुनकर हम लोग ग्राम कुसौल में मोहन परिवार के घर पर पहुंचे। देखा कि अनीता देवी मोहन परिहार के घर में खाट पर मरी पड़ी है एवं हाथ-पैर बंधा था। चर्चा था कि मोहन चौधरी/परिहार एवं सबिता देवी ने अनीता देवी का गला घोटकर हत्या कर दी थी। अभियुक्तगण घर में नहीं थे। दहेज का रुपया नहीं देने के कारण अभियुक्तगण उपरोक्त घटना कारित किया। मेरे साथ अनीता के पिता तथा अन्य ग्रामीण भी थे। अभियुक्तों को मैं पहचानता हूं। इन्होंने प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि अनीता के ससुराल से जो व्यक्ति आए थे उसका नाम रामदेव तथा फनी मंडल का दामाद था, ग्राम कुसौल था। अनीता देवी के ससुराल वाले उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को खबर देने हेतु भेजे थे। मैं दिनांक 23.06.2007 को साम सात बजे पहुंचे थे। मेरे साथ तीन-चार व्यक्ति थे उसमें मुकेश, अशोक, फनी मंडल एवं लकाड़ी था। अनीता देवी के घर में जाने से हम लोगों को किसी ने नहीं रोका था। उसका छप्पर तथा दीवार मिट्टी का था। अनीता देवी का हाथ,अनीता देवी जो साड़ी पहनी थी, उसी से बंधा था। अनीता देवी का पैर बंधा नहीं था। अनीता देवी के मुंह में दूसरा कपड़ा (गमछा) ठूंसा हुआ था। पूरा गमछा अनीता के मुंह में फंसा हुआ था। अनीता देवी जब ससुराल गई थी, मैं उससे भेंट करने नहीं गया था। अनीता देवी से हमारी बातचीत उसके ससुराल जाने के बाद नहीं हुई थी। अनीता के ससुराल जाने के बाद अभियुक्तगण से कोई बातचीत नहीं हुई थी। अनीता को गए 8 दिन हुआ था। अनीता अपने ससुराल में 8 दिन ही रही थी। मैंने अपनी आंख से घटना को नहीं देखा है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है स्वयं मैंने झूठी गवाही दी है।

19-05-16

10. अभियोजन साक्षी संख्या- 2. योगेन्द्र परिहार (PW- 2) ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि अनीता देवी की हत्या हुई थी। वह मेरी अपनी भतीजी है। अनीता देवी के पिता सुरेश परिहार मेरे भाई हैं। अनीता देवी की शादी ग्राम कुसौल में हुई थी। शादी घटना के डेढ़ महीना पूर्व हुई थी। अनीता देवी के साथ उसके ससुराल वाले 600/- रूपया के लिए हमेशा मारपीट करते थे। गांव कुसौल से खबर आया कि सुरेश परिहार की लड़की अनीता देवी काफी सीरियस है। मैं सुरेश परिवार के साथ ग्राम कुसौल गया। मैंने देखा कि अनीता देवी खटिया पर सोई थी एवं मुंह में कपड़ा ठूँसा गया था तथा उसका हाथ बंधा था। अनीता देवी के मुंह एवं नाक से खून निकल रहा था। हमको बुझाया की अनीता देवी को मेरे दामाद, समधिन तथा समधी ने गला दबाकर मार दिया है। अभियुक्तों को मैं पहचानता हूं। इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि अनीता देवी के ससुराल से एक मंडल नाम का व्यक्ति खबर देने आया था। शादी के 1 महीना के बाद अनीता देवी की विदाई हुई थी। अनीता देवी जब जीवित थी, तब मैं उसके ससुराल नहीं गया था। ससुराल जाने पर अनीता देवी से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। विदाई के बाद में घर पर नहीं था। काम करने गया था। अनीता देवी के मरने के बाद अभियुक्तों से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। घटना को मैंने अपने आंखों से नहीं देखा है। अनीता देवी शादी के बाद ससुराल में मात्र 6 दिन रही थी। जब हम लोग अनीता देवी को

देखने घर के अंदर अनीता के ससुराल में गए तो किसी ने हम लोगों का विरोध नहीं किया था। अनीता देवी की जब मृत्यु हुई तब वर्षा तूफान थी लेकिन अधिक नहीं थी। कितने दिनों से वर्षा थी याद नहीं है। मेरे घर से अनीता देवी का ससुराल करीब 100 किलोमीटर है। ऐसी बात नहीं है कि मैं झूंठी गवाही दिया है एवं ऐसी कोई घटनानहीं घटित हुई है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या- 3. अशोक परिहार (PW- 3) ने दिनांक 23.11.2007 को मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना 1 वर्ष पूर्व की है। मैं घर पर था। कुसौल गांव से सपन मंडल आया एवं सुरेश को कहा कि आपकी लड़की डेथ कर गई है। सुरेश ने हमको जानकारी दिया। हम लोग 2-4 आदमी ग्राम कुसौल गए। वहां हम लोग मोहन चौधरी के घर पर गए तो देखे कि अनीता देवी मृत थी। अनीता देवी के मुंह में कपड़ा था। मैंने सुना की मोहन चौधरी ने अनीता देवी को गला दबाकर मार दिया है। मोहन के अलावा अन्य आदमी अनीता को मारने में थे अथवा नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं। मोहन के पिताजी न्यायालय में उपस्थित हैं, मैं पहचानता हूं। मोहन की मां को भी पहचानता हूं। इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि पुलिस से मेरी मुलाकात ग्राम कुसौल में हुई थी। पुलिस को मैं गवाही आज की तरह ही दिया था। मोहन के पिताजी को अनीता देवी की शादी के समय से ही मैं पहचानता हूं। मैं पुलिस में नहीं कहा था कि सपन के साथ सुरेश आया एवं कहा कि आपकी लड़की डेथ कर गई है। हम लोगों के पहुंचने पर अनीता देवी की लाश सुखदेव के यहां पड़ी थी (पूरवारी घर में) लाश अनीता देवी का घर के भीतर थी। लाश खाट पर था। अनीता देवी की लाश का सर पश्चिम तरफ था पैर पूरब तरफ था। लाश के बदन पर साड़ी था। अनीता देवी हरा रंग की साड़ी पहनी थी। अनीता देवी के घर में मोहन की मां, मोहन की चाची एवं सुखदेव से हमारी भेंट हुई थी। सुखदेव का दो घर है। मोहन भी उसी घर में रहता है। सुखदेव का एक घर पूरब तरफ तथा दूसरा घर पश्चिम तरफ है। पूरब वाले घर का मुंह पश्चिम तरफ है। यह ईट टीन का छतदार घर है। मैंने अपने ही गांव कुशियारी में सुना था कि मोहन ने अनीता देवी का गला दबाकर मार दिया है। यह सुनने के बाद मैं उसके गांव गया था। अनीता देवी मेरी गांव के रिश्ते से भतीजी है। मेरे गांव से अनीता देवी का ससुराल 14-15 किलोमीटर दूर है। मैं अपने गांव से 5:00 बजे संध्या में गांव कुसौल के लिए प्रस्थान किया था एवं 8:00 बजे रात्रि कुसौल पहुंचा था। ऐसी बात नहीं है कि कोई घटना घटित नहीं हुई है। ऐसी बात नहीं है कि संबंधी होने के कारण मैंने झूठी गवाही दिया है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या- 4. मोहम्मद हबीब आलम (PW- 4) ने मुख्य परीक्षण मैं कहा है कि घटना करीब एक वर्ष पूर्व की है। घटना का समय मैं नहीं बता पाऊंगा। हमने गांव में सुना की अनिता देवी को जान से मार दिया गया है। अनीता देवी के ससुराल गए थे। हमको मालूम हुआ कि दहेज के कारण उपरोक्त घटना घटित हुई है। अनीता के पति का नाम मोहन चौधरी था। मोहन चौधरी को मैं पहचानता हूं, अन्य अभियुक्तों को मैं नहीं पहचान सकता हूं। इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि मैंने घटना नहीं देखा है। मैंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर गवाही दिया है। मैंने देखा था कि अनीता देवी चारपाई पर मरी पड़ी है। मृतिका का शव घर के बरामदा पर था। बरामदा पूरब रुख का था। मृतिका का सर उत्तर तरफ था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने मृतिका के ससुराल उसके मरने के बाद नहीं गया था।

13. अभियोजन साक्षी संख्या- 5. सुबोध कुमार दास (PW- 5) ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 1 वर्ष पूर्व की है। घटना का समय मैं नहीं जानता हूं। अनीता देवी की शादी मोहन के साथ ग्राम कुसौल में हुई थी। अनीता देवी शादी के बाद ससुराल गई। 7-8 दिन बाद हमने सुना कि अनीता देवी को मार दिया गया है। किसने मारा मैंने नहीं देखा है। मैंने सुना कि अनीता देवी को दहेज के लिए मार दिया गया है। मोहन कुमार चौधरी को मैं पहचान सकता हूं। अन्य शेष अभिक्तों को मैं नहीं पहचानता हूं। इन्होंने प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि मैंने जो सुना है उसी के आधार पर गवाही

दिया है। मैंने कोई घटना नहीं देखा है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या- 6. सुरेश परिहार (PW- 6) स्वयं सूचक ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना लगभग 3 साल पहले की है। मैंने ही यह केस किया है। मैंने अपनी लड़की अनीता देवी का विवाह सुखदेव चौधरी के पुत्र मोहन परिहार से 3 साल पहले किया था। मेरे बेटी के ससुराल गांव निवासी सुखदेव मंडल ने आकर हमको खबर किया कि मेरी बेटी सीरियस है। उसके साथ उसके ही गांव का बैजनाथ परिहार भी आया था। इस पर मैं अकेला अपनी बेटी के ससुराल गया तो देखा कि मेरी बेटी को खाट पर लिटाया हुआ है, खाट पूरव वाले घर के ओसारा में था। लड़की का सिर दक्षिण तरफ था। लड़की मरी हुई थी। लड़की के गले में दाग देखा। घर में मछली का कांटा, दारू का बोतल, चार गिलास भी देखा। कंडिका 3 में कहा है कि मोहन की छोटकी चाची जो भुवन परिहार की औरत थी वह बताई कि मेरी लड़की के मुंह में कपड़ा ठूँसा हुआ था तथा हाथ पीछे में बाँधा हुआ था। मुंह का ठूँसा कपड़ा उसने निकाला और हाथ खोल दिया है। कंडिका 4 में कहा है कि गांव वालों से पूंछने पर बतलाया कि पड़ोसी भोला मंडल, मोहन परिहार, सुखदेव परिहार तथा एक और पड़ोसी जिसका नाम अभी भूल रहा है, चारों ने रात में घर में शराब पिया है और यह घटना किया है। कंडिका 5 में कहा है कि मैंने वहां के मेंबर सदस्य के मोबाइल से घटना का खबर थाना को कराया, पुलिस शनिवार को 2:30 बजे आई थी। शुक्रवार को शाम को मैं पहुंचा था। पुलिस ने शनिवार को मेरा बयान लिया था। बयान लिख पढ़कर सुनाया सही पाकर मैंने निशान दिया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़की का दाह संस्कार उसका छोटा गोतिया सुमन ने किया था। कंडिका 7 में कहा है कि मेरी लड़की को बेचने के ख्याल से मुंबई का यात्रा मोहन परिहार और भोला मंडल ने बनवाया था जब बेटी जाने को तैयार नहीं हुयी तो यह घटना किया था। कंडिका 8 में कहा है कि दहेज का 600/- टका बाकी था। मोहन बेटी को कहता था कि आपसे टका मांगो, मुंबई जाएगा। यह सब बात हमको दूसरा आदमी से पता चला था। बेटी ने हमको कुछ नहीं बताया था। अभियुक्त मेरे समधी तथा समधिन सविता देवी है। समधी सुखदेव चौधरी आज हाजिर अदालत नहीं है। इन्होंने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 10 में बयान दिया है कि जिस रात मेरी लड़की मरी थी उस रात काफी आंधी वर्षा था। बहुत गाछ वृक्ष गिरा था और बहुत से लोगों का घर भी गिरा था। कंडिका 11 में कहा है कि यह सही है कि मैं अपने फर्द बयान तथा पुनः बयान में सुखदेव मंडल तथा बैजनाथ परिहार का नाम नहीं लिया था क्योंकि मिस कर गया था। घटना वाले स्थान पर मैं अकेला ही गया था। ऐसा बयान मैंने पुलिस को नहीं बतलाया था। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने फर्द बयान में पुलिस से कहा था कि "तब मैं अपने गांव के अन्य लोगों के साथ ग्राम कुसौल आए थे" .कंडिका 13 में कहा है कि जब मैं बेटी के ससुराल पहुंचा था तो उसे मरा हुआ बरामदा में देखा था, जो पुरववारी घर का पश्चिम रुख बरामदा है। कंडिका 14 में कहा है कि मैं ससुराल बेटी के सायं काल 5:30 बजे पहुंचा था। जब मैं पहुंचा था उस समय भी आंधी और बारिश हो रहा था। मैंने लोगन परिहार के मोबाइल से पुलिस को खबर किया जो मेरे दामाद का मौसेरा भाई है। साढ़े दस बजे रात में उसके मोबाइल से पुलिस को फोन किया था। उस रात में वही रह गया था। अपने घर वापसी में एक रात और एक दिन रहकर शाम को लाश लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार आया था। मेरी बेटी उस समय कत्थई रंग का ब्लाउज तथा कत्थई रंग का साया पहने हुए थी। साड़ी नहीं पहने हुए थी। बेटी को सबसे पहले मैंने उसके ससुराल में मरा पड़ा देखा था। उस वक्त घर में समधी सुखदेव परिहार तथा समाधिन सविता देवी थी। समधी का सगा भाई तथा उसकी पत्नी भी था। घर एक ही है, रहता अलग-अलग है। घर का दिवाल ईट का तथा छत टीना का है परंतु पछियारी वाला बरामदा और घर का दिवाल मिट्टी का तथा छत छप्पर का था। कंडिका 15 में कहा है कि मैंने इस घटना को आंख से नहीं देखा था। हमको बतलाया गया था। मछली का कांटा और दारू का बोतल तथा चार

गिलास देखने की बात मैंने पुलिस को फर्द बयान तथा अपने पुन: बयान में भी बतलाया था। पुलिस ने यदि ऐसा नहीं लिखा है तो मैं इसकी वजह नहीं जानता हूं। कंडिका 17 में कहा है कि मेरी लड़की के मुंह में कपड़ा घुंसा हुआ था तथा हाथ पीछे में बंधा हुआ था। मुंह का कौन सा कपड़ा मोहन की छोटकी चाची जो भुवन परिहार की औरत निकाली और हाथ खोल दिया था। ऐसा बयान मैंने पुलिस को भी दिया था। उसने मेरे फर्द बयान और पुन: बयान में यदि ऐसा नहीं लिखा है, मैं इसकी वजह नहीं जानता हूं। बेटी के ससुराल वाले गांव में भी आंधी वर्षा से लोगों के घरों का नुकसान हुआ था। ऐसी बात नहीं है की आंधी तूफान और वर्षा के कारण घर का बांस-बल्ली वगैरह गिरने से आंधी तूफान के चपेट में आकर मरी थी और मैं बेटी की मृत्यु का बदला साधने के लिए यह झूंठ केस किया है और झूंठी गवाही दिया है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या- 7. रेवती देवी मृतिका की माँ (PW- 7) ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है की घटना करीब 3 साल पूर्व की है। मैं अपनी बेटी अनीता देवी की शादी मोहन चौधरी के साथ श्रावण माह में 3 साल पूर्व किया था। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल गई। वहां वह 5 दिन तक रही। उसके ससुराल से दो आदमी सपन मंडल और रामजी परिहार आया और कहा कि अनीता गंभीर रूप से बीमार है। खबर मिलने के बाद अनीता के पिता वहां गए। फिर शाम की गाड़ी से 10-15 आदमी हम लोग अनीता के ससुराल गए। वहां देखें कि मेरी बेटी अनीता मरी पड़ी है फिर पुलिस आई। सबसे पुलिस ने पूँछतांछ की। अनीता के ससुराल के पड़ोसी सब कहे कि उसके मुंह में कपड़ा डाला गया था। हाथ बंधा था। फिर लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पता चला कि उसका पति मोहन चौधरी और भोला मंडल हत्या कर दिया। हत्या 600/- रूपया के दहेज के लिए घटना किया। मैं सभी अभियुक्तों को पहचानती हूं। आज सविता देवी मृतक अनीता की सास न्यायालय में उपस्थित हैं। इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि मेरे पति 3:00 बजे खबर मिलने के बाद अनीता के ससुराल गए। मेरे साथ में भैसुर, अशोक परिहार, मुक्ति परिहार और मधु आलम सब गया था। हम लोग अनीता के ससुराल में 9:00 बजे रात्रि पहुंचे थे। पुलिस दूसरे दिन शनिवार को लगभग 2:00 बजे दिन में आई थी। 600/- रूपया मांगने की बात अनीता के ससुराल के पड़ोसी सब बताया। मेरी अनीता के ससुराल वालों से तथा दामाद एवं बेटी से भी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैंने अपनी बेटी के मुंह में कपड़ा ठूंसा या हाथ बंधा नहीं देखा था। घटना वाली रात काफी बारिश एवं आंधी तूफान से भरा था। घर सब बहुत सारे गिर गए थे। हम लोग जब पहुंचे उस समय भी मौसम खराब था। हम लोग सभी मेरी बुआ सास के यहां पहुंचे थे। मेरे पति भी साथ थे। ऐसी बात नहीं है कि मेरी बेटी आंधी तूफान के कारण दुर्घटना में मर गई तथा मैंने झूठी गवाही दिया।

16. अभियोजन साक्षी संख्या- 8. भुवन परिहार (PW- 8) घटना के संबंध में कोई जानकारी होने तथा पुलिस द्वारा बयान लिए जाने की बात से इनकार किया है। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सबिता देवी की देखकर पहचान किया है तथा साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि अनीता देवी का सास ससुर सबसे अच्छा संबंध था। मुदालह मेरा भाभी है।

17. अभियोजन साक्षी संख्या- 9. चिकित्सक डॉक्टर रामरेखा सुमन (PW- 9) ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि दिनांक 24.09.2006 को मैं सदर अस्पताल कटिहार में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था। ड्यूटी के दौरान उक्त तिथि को मृतका अनीता देवी पत्नी मोहन चौधरी ग्राम- कुसौल थाना- आजमनगर, जिला- कटिहार उम्र करीब 18 वर्ष के शव का पोस्टमार्टम किया था:-

External Findings-

1. There was blackish discolouration of face, swollen neck with blackish spot about 2" X 2" at right upper neck and left side of upper neck

Internal findings.

2. Internal examination of brain and meninges:- Intact and congested.
3. Neck: Trachea with larynx adhere with each other and blood underneath it.
4. Thoracic cavity:- Heart and lungs are intact and NAD
5. Abdomen Cavity:- All viscera are intact and NAD.
6. External genitalia: Intact and NAD

Opinion:-

Cause of death in my opinion throttling.

Time elapses since death within 36 to 72 hours.

यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श- P-1/PW-9. अंकित किया जाता है।

इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि Throttling शब्द जो लिखे हैं इसका मतलब गला दबाना होता है। यह चोट दुर्घटना से भी हो सकता है। आंधी तूफान में घर का बल्ला बांस गिरने से उस तरह की चोट आ सकती है।

अभियोजन की ओर से बहस

18. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यसवंत सिंह द्वारा अपने बहस में कहा गया है कि सूचक सुरेश परिहार के लिखित आवेदन के आधार पर आजमनगर पुलिस द्वारा मामले के अभियुक्तों के विरुद्ध आजमनगर थाना काण्ड संख्या- 102/ 2006 दिनांक 23.09.2006 अंतर्गत धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० में प्राथमिकी पंजीबद्ध किया गया था। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोहन चौधरी पे० सुखदेव चौधरी के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अन्य प्राथमिकी अभियुक्त 2. सुखदेव चौधरी पुत्र स्व० छेदी चौधरी एवं 3. सबिता देवी पति सुखदेव चौधरी को भा०दं०वि० की धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोपित करते हुये आरोप-पत्र संख्या- 01/2007 दिनांक 12.01.2007 न्यायालय में समर्पित किया गया, तदुपरान्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला बनता पाकर अपराध का संज्ञान लिया गया है और दिनांक 05.04.2007 को मामले के दौरा सुपुर्द किये जाने के बाद त्वरित न्यायालय, तृतीय, कटिहार द्वारा दिनांक 29.05.2007 को अभियुक्त 1. सुखदेव चौधरी एवं 2. सबिता देवी के विरुद्ध धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० अन्तर्गत आरोप गठन किया गया और अभियुक्त 1. सुखदेव परिहार उर्फ सुखदेव चौधरी एवं 2. सबिता देवी धारा 304(B) /34 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोपित हैं और विचारण का सामना कर रहे हैं। अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होंने सूचक की पुत्री अनीता देवी की दहेज़ के लिये हत्या कर दिया था। सूचक की पुत्री अनीता देवी की शादी मोहन परिहार के साथ घटना के डेढ़ माह पूर्व हुयी थी तथा शादी के एक महीना बाद वह अपने ससुराल गयी थी जिसके एक सप्ताह में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गयी, जिसके लिए अभियुक्तगण विचारण का सामना कर रहे हैं। मृतिका का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक राम रेखा सुमन ने न्यायालय में उपस्थित होकर शव परीक्षा प्रतिवेदन पर अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर की पहचान किया है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया है जिसे प्रदर्श- P- 1/PW- 9 अंकित किया गया है। चिकित्सक की राय में मृतिका की गला दबाकर हत्या किया गया है। अभियोजन द्वारा मामले के समर्थन में कुल 9 साक्षियों अभियोजन साक्षी संख्या- 1. पृथ्वी परिहार (PW- 1), अभियोजन साक्षी संख्या- 2. योगेंद्र परिहार (PW- 2), अभियोजन साक्षी संख्या- 3. अशोक परिहार (PW- 3), अभियोजन साक्षी संख्या- 4. मोहम्मद हबीब आलम (PW- 4), अभियोजन साक्षी संख्या- 5. सुबोध कुमार दास (PW- 5),

अभियोजन साक्षी संख्या- 6. सुरेश परिहार (PW- 6) (स्वयं सूचक), अभियोजन साक्षी संख्या- 7. रेवती देवी (PW- 7) मृतिका अनीता देवी की माँ एवं अभियोजन साक्षी संख्या- 8. भुवन परिहार (PW- 8) का मौखिक परीक्षण न्यायालय में कराया गया है तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी का पूर्णत: समर्थन किया है तथा न्यायालय में अभियुक्त की पहचान किया है। न्यायालय में परीक्षित सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों की पहचान किया है तथा मामले को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे सावित किया है। अत: न्यायहित में इस मामले के सभी अभियुक्तों को आरोपित अपराध के लिए अधिकतम दंड से दंडित किया जाए।

अभियुक्त की ओर से बहस

19. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तों के बचाव में विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहश में अभियुक्तों के निर्दोष होने की वकालत करते हुये कहा है कि अभियुक्त 1. सुखदेव परिहार उर्फ सुखदेव चौधरी एवं 2. सबिता देवी धारा 304(B) /34 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोपित हैं और विचारण का सामना कर रहे हैं। अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होंने सूचक की पुत्री अनीता देवी की दहेज़ के लिये हत्या कर दिया था परन्तु वास्तविक तथ्य यह है कि आंधी तुफान एवं अत्यधिक वर्षा के दौरान बांस बल्ली के मृतिका के ऊपर गिर जाने से जख्मी होने के कारण अनीता देवी की स्वाभाविक मौत हो गयी है परंतु अभियोजन द्वारा इस मामले में अभियुक्तों को झूंठा फंसाया गया है। किसी भी साक्षी द्वारा मृतक की हत्या करते हुए किसी अभियुक्त को देखे जाने का बयान नहीं दिया गया है। आरोपित घटना के संबंध में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियुक्तों के बचाव में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण को झूंठे मामले में गलत ढंग से फंसा दिया गया है। न्यायालय के समक्ष परीक्षित चिकित्सक के बयान के अनुसार यह चोट दुर्घटना से भी हो सकता है। आंधी तूफान में घर का बल्ला बांस गिरने से इस तरह की चोट आ सकती है। किसी भी साक्षी को इस घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी साक्षी ने किसी अभियुक्त को घटना कारित करते हुए देखा है। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतिका की मृत्यु उसके ससुराल में हुयी है तथा उसके ससुराल के किसी ब्यक्ति ने भी घटना कारित करते हुए किसी को नहीं देखा है। अभियोजन द्वारा न्यायालय में परीक्षित किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन अपने मामले को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध कोई मामला ही नहीं बनता है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता कहा गया है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के बिश्लेष्ण से स्पष्ट है कि संपूर्ण अभियोजन मामला केवल सूचक के फर्द बयान के आधार पर आधारित है तथा साक्षियों के साक्ष्य में बिरोधाभास है। सन्देह से परे सबूतों के अभाव में अभियुक्तों पर अधिरोपित आरोप कानून की दृष्टि से पोषणीय नहीं है तथा अभियोजन आरोपित अभियुक्तों के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं पारिस्थितियों के आधार पर न्यायहित में अभियुक्तों को आरोपित अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाए।

(4) 19-05-26

साक्ष्य का विश्लेषण

20. अब मैं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखी साक्ष्यों की गहन विवेचना एवं मीमांशा इस वाद में अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोप के आलोक में करूँगा। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित है कि कि प्रस्तुत मामले के अभियुक्त 1. सुखदेव चौधरी पुत्र स्व० छेदी चौधरी एवं 2. सबिता देवी पति सुखदेव चौधरी धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोपित हैं और विचारण का सामना कर रहे हैं तथा

अभियोजन द्वारा अभियोजन कहानी के समर्थन में न्यायालय के समक्ष कुल 9 साक्षियों का मौखिक साक्ष्य कराया गया है परन्तु अभियोजन द्वारा घटना कोई चक्षुदर्शी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि साक्ष्य विधि का स्थापित नियम है कि किसी भी घटना के संबंध में सदैव सर्वोत्तम साक्ष्य देना चाहिए। किसी मामले के संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य वह होता है जिसे देने वाला व्यक्ति अपने इंद्रियों द्वारा उसका बोध किया हो परंतु यदि कोई प्रत्यक्ष साक्षी अर्थात सर्वोत्तम साक्ष्य नहीं उपलब्ध हो सका है तो यह उपधारणा नहीं किया जा सकता है कि निर्दोष है अथवा दोषी है। ऐसी स्थिति में जहाँ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है वहां साक्ष्य विधि के अनुसार ऐसी परिस्थितियों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो मामले में सुसंगत हो। सुसंगत परिस्थितियां वह परिस्थितियों हैं जो मुख्य घटना के साथ इस तरह से संबंधित है कि वह या तो घटना के कर्म को स्पष्ट करती है या उसकी प्रकृति पर कुछ प्रकाश डालती है। आपराधिक विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि आपराधिक कार्यवाहियों में संदेह से परे सबूत का सिद्धांत लागू होता है। जितना ही ज्यादा गंभीर प्रकृति का अपराध होता है उतना ही ज्यादा सही सबूत आवश्यक हो जाता है। संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। संदेह एक ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं होता है। किसी संदेह के बारे में युक्तियुक्त तभी कहा जा सकता है जब वह भावनाओं से प्रभावित न हुआ हो। संदेह वास्तविक तथा तात्विक होना चाहिए। युक्तियुक्त संदेह केवल अनुमान या संभवत: संदेह के रूप में नहीं होना चाहिए अपितु कारण तथा तार्किकता पर आधारित होना चाहिए। जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, संदेह उसी से उत्पन्न होना चाहिए।

21. इस मामले में अभियोजन द्वारा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मामले के सूचक ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया है तथा अभियोजन की ओर मृतिका का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक का न्यायालय में परीक्षण कराया गया है जिन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर शव परीक्षा प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया गया है तथा शव परीक्षा प्रतिवेदन को साबित किया है जिसे प्रदर्श- P- 1/PW- 9. अंकित किया गया है जिसके अनुसार मृतिका की हत्या उसका गला दबाकर किया गया है परन्तु किसके द्वारा उसका गला दबाया गया है, इस बात का कोई प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से साक्षी के रूप में अनुसंधानकर्ता का परीक्षण नहीं कराया गया है तथा औपचारिक प्राथमिकी एवं आरोप-पत्र को साबित नहीं किया गया है। अभियोजन ने पुलिस द्वारा तैयार किये गये मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन को साबित नहीं किया है।

19.05.26

22. अभिलेख अवलोकन से विदित है कि इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में किसी मौखिक साक्षी का बयान नहीं कराया गया है। बचाव पक्ष के अनुसार केवल संदेह के आधार पर मामले के अभियुक्तों को अभियोजित किया गया है अर्थात बचाव पक्ष द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपना बचाव किया जा रहा है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्तों को अभियोजित किया जा रहा है तथा उनके ऊपर मृतक अनीता देवी की हत्या का आरोप लगाया गया है, अर्थात यहां स्पष्ट है कि जहां एक तरफ अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को अभियोजित कर दंडित करने की मांग कर रहा है वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही अपना बचाव कर रहा है। अभियुक्तों पर आरोपित अपराध के संबंध में अब यहां देखना होगा कि उभयपक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष में क्या-क्या मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तथा क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गए धारा 304(B)/34 भा०द० वि० के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?।

23. प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के विवेचन एवं चिकित्सक द्वारा दिए गये बयान तथा प्रदर्श- P- 1/PW- 9 शव परीक्षा प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित है कि अनीता देवी की मृत्यु हुयी है। अब जहाँ तक आरोपित अभियुक्तों द्वारा अनीता देवी की

दहेज हत्या कारित किये जाने के आरोप की बात है तो यह देखना होगा कि अनीता देवी की मृत्यु दुर्घटना है अथवा अभियुक्तों द्वारा कारित किया गया है अर्थात आरोपित अभियुक्तों द्वारा उसकी हत्या किया गया है अथवा नहीं तथा अनीता देवी की मृत्यु दहेज़ हत्या अथवा हत्या की कोटि के अंतर्गत आता है। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की 304(B) में दहेज हत्या के संबंध में उपबंध किया गया है जिसके अनुसार (1) "जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा"। (2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम कि नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा।

24. इस तरह भारतीय दंड संहिता की 304(B) के अंतर्गत दंडनीय अपराध दहेज हत्या को साबित करने के लिए आवश्य है कि :-

   a. मृत्यु या जलने के द्वारा अथवा शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गयी हो अथवा सामान्य से अन्यथा घटित हुयी है।
   b. मृत्यु विवाह से सात वर्ष की अवधि के अंदर हुयी है।
   c. यह दर्शाया जाना आश्यक है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके पति अथवा पति के किसी संबंधी द्वारा उस महिला के साथ क्रूरता की गयी है।
   d. इस धारा के प्रयोजनों के लिए दहेज़ का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में अभिप्रेत है।

माननीय उच्चतम न्यायलय ने अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय दंड संहिता की 304(B) के अंतर्गत किये जाने वाले अपराध के लिए आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं-

   1. महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति या स्वाभाविक परिस्थितयों से भिन्न रूप में होनी चाहिये।
   2. ऐसी मृत्यु मृत्यु विवाह से सात वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
   3. उसके साथ पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या प्रपीड़न का व्यवहार किया गया हो।
   4. ऐसी क्रूरता या प्रपीड़न दहेज की मांग या उसके संबंध में होनी चाहिए।
   5. ऐसी क्रूरता या प्रपीड़न महिला के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व किया गया।

25. इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की 304(B) के अंतर्गत दंडनीय अपराध दहेज हत्या को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा उपरोक्त तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक है। अभियोजन साक्षी संख्या- 6. सुरेश परिहार (PW- 6) स्वयं सूचक ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि मेरे बेटी के ससुराल गांव निवासी सुखदेव मंडल ने आकर हमको खबर किया कि मेरी बेटी सीरियस है। उसके साथ उसके ही गांव का बैजनाथ परिहार भी आया था। इस पर मैं अकेला अपनी बेटी के ससुराल गया तो देखा कि मेरी बेटी को खाट पर लिटाया हुआ है, खाट पूरव वाले घर के ओसारा में था। लड़की का सिर दक्षिण तरफ था। लड़की मरी हुई थी। लड़की के गले में दाग देखा। घर में मछली का कांटा, दारू का बोतल, चार गिलास भी देखा। कंडिका 3 में कहा है कि मोहन की छोटकी चाची जो भुवन परिहार की औरत थी वह बताई कि मेरी लड़की के मुंह में कपड़ा ठूँसा हुआ था तथा हाथ पीछे में बाँधा हुआ था। मुंह का ठूँसा कपड़ा उसने निकाला और हाथ खोल दिया है। कंडिका 4 में कहा है कि गांव वालों से पूंछने पर बतलाया कि पड़ोसी भोला मंडल, मोहन परिहार,

सुखदेव परिहार तथा एक और पड़ोसी जिसका नाम अभी भूल रहा है, चारों ने रात में घर में शराब पिया है और यह घटना किया है। कंडिका 7 में कहा है कि मेरी लड़की को बेचने के ख्याल से मुंबई का यात्रा मोहन परिहार और भोला मंडल ने बनवाया था जब बेटी जाने को तैयार नहीं हुयी तो यह घटना किया था। कंडिका 8 में कहा है कि दहेज का 600/- टका बाकी था। मोहन बेटी को कहता था कि आपसे टका मांगो, मुंबई जाएगा। यह सब बात हमको दूसरा आदमी से पता चला था। बेटी ने हमको कुछ नहीं बताया था। इस प्रकार इस साक्षी मुख्य परीक्षण में दिए गए के बयान से स्पष्ट है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है तथा उसकी पुत्री अनीता देवी द्वारा उसे अभियुक्तों द्वारा दहेज मांग किए जाने या प्रताड़ित किये जाने के संबंध में कुछ नहीं बताया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 10 में में बयान दिया गया है कि जिस रात मेरी लड़की मरी थी उस रात काफी आंधी वर्षा था। बहुत गाछ वृक्ष गिरा था और बहुत से लोगों का घर भी गिरा था। कंडिका 11 में कहा है कि यह सही है कि मैं अपने फर्द बयान तथा पुनः बयान में सुखदेव मंडल तथा बैजनाथ परिहार का नाम नहीं लिया था क्योंकि मिस कर गया था। घटना वाले स्थान पर मैं अकेला ही गया था। ऐसा बयान मैंने पुलिस को नहीं बतलाया था। कंडिका 13 में कहा है कि जब मैं बेटी के ससुराल पहुंचा था तो उसे मरा हुआ बरामदा में देखा था, जो पुरववारी घर का पश्चिम रुख बरामदा है। कंडिका 14 में कहा है कि मैं ससुराल बेटी के सायं काल 5:30 बजे पहुंचा था। जब मैं पहुंचा था उस समय भी आंधी और बारिश हो रहा था। मैंने लोगन परिहार के मोबाइल से पुलिस को खबर किया जो मेरे दामाद का मौसेरा भाई है। साढ़े दस बजे रात में उसके मोबाइल से पुलिस को फोन किया था। उस रात में वही रह गया था। अपने घर वापसी में एक रात और एक दिन रहकर शाम को लाश लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार आया था। मेरी बेटी उस समय कत्थई रंग का ब्लाउज तथा कत्थई रंग का साया पहने हुए थी। साड़ी नहीं पहने हुए थी। बेटी को सबसे पहले मैंने उसके ससुराल में मरा पड़ा देखा था। उस वक्त घर में समधी सुखदेव परिहार तथा समधिन सविता देवी थी। समधी का सगा भाई तथा उसकी पत्नी भी था। घर एक ही है, रहता अलग-अलग है। घर का दिवाल ईट का तथा छत टीना का है परंतु पछियारी वाला बरामदा और घर का दिवाल मिट्टी का तथा छत छप्पर का था। कंडिका 15 में कहा है कि मैंने इस घटना को आंख से नहीं देखा था। हमको बतलाया गया था। साक्षी ने आंधी तूफान और वर्षा के कारण घर का बांस-बल्ली वगैरह गिरने से आंधी तूफान के चपेट में आकर मृतिका के मरने की बात से इनकार किया है। अभियोजन साक्षी संख्या- 7. रेवती देवी मृतिका की माँ (PW- 7) ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है मैं अपनी बेटी अनीता देवी की शादी मोहन चौधरी के साथ श्रावण माह में 3 साल पूर्व किया था। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल गई। वहां वह 5 दिन तक रही। उसके ससुराल से दो आदमी सपन मंडल और रामजी परिहार आया और कहा कि अनीता गंभीर रूप से बीमार है। खबर मिलने के बाद अनीता के पिता वहां गए। फिर शाम की गाड़ी से 10-15 आदमी हम लोग अनीता के ससुराल गए। वहां देखें कि मेरी बेटी अनीता मरी पड़ी है फिर पुलिस आई। सबसे पुलिस ने पूँछतांछ की। अनीता के ससुराल के पड़ोसी सब कहे कि उसके मुंह में कपड़ा डाला गया था। हाथ बंधा था। फिर लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पता चला कि उसका पति मोहन चौधरी और भोला मंडल हत्या कर दिया। हत्या 600/- रूपया के दहेज के लिए घटना किया। मैं सभी अभियुक्तों को पहचानती हूं। आज सविता देवी मृतक अनीता की सास न्यायालय में उपस्थित हैं। इस प्रकार इस साक्षी के अनुसार उसे पता चला कि मृतिका का पति मोहन चौधरी और भोला मंडल ने 600/- रूपये के दहेज़ के लिए अनीता की हत्या कर दिया है जबकि उसके पति सूचक के द्वारा कंडिका 7 में बयान दिया गया है कि मेरी लड़की को बेचने के ख्याल से मुंबई का यात्रा मोहन परिहार और भोला मंडल ने बनवाया था जब बेटी जाने को तैयार नहीं हुयी तो यह घटना किया था तथा कंडिका 8 के

अनुसार कि दहेज का 600/- टका बाकी था। मोहन बेटी को कहता था कि टका मांगो, मुंबई जाएगा। यह सब बाते सूचक को दूसरे आदमी से पता चला था, किससे पता चला था नहीं बताया है। बेटी के बारे में कहा है कि उसने हमको कुछ नहीं बताया था। मृतिका की माँ ने प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि 600/- रूपया मांगने की बात अनीता के ससुराल के पड़ोसी सब बताया परन्तु किसने बताया था नाम नहीं लिया है। यह भी कहा है कि मेरी बेटी अनीता के ससुराल वालों से तथा दामाद एवं बेटी से भी कोई बातचीत नहीं हुई थी। घटना वाली रात काफी बारिश एवं आंधी तूफान से भरा था। घर सब बहुत सारे गिर गए थे। हम लोग जब पहुंचे उस समय भी मौसम खराब था। अभियोजन साक्षी संख्या- 1. पृथ्वी परिहार (PW- 1) जख्मी साक्षी के बयान के अनुसार अनीता देवी सुरेश परिहार की बेटी थी जिसकी अनीता देवी की शादी मोहन परिहार ग्राम- कुसौल के साथ घटना के डेढ़ माह पूर्व हुई थी। बीमारी की खबर सुनकर हम लोग ग्राम कुसौल में मोहन परिवार के घर पर पहुंचे तो देखा कि अनीता देवी, मोहन परिहार के घर में खाट पर मरी पड़ी है एवं हाथ-पैर बंधा था। चर्चा था कि मोहन चौधरी/परिहार एवं सबिता देवी ने अनीता देवी का गला घोटकर हत्या कर दी थी। दहेज का रुपया नहीं देने के कारण अभियुक्तगण उपरोक्त घटना कारित किया इन्होंने प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि अनीता देवी से हमारी बातचीत उसके ससुराल जाने के बाद नहीं हुई थी। अनीता के ससुराल जाने के बाद अभियोजन की ओर से किसी साक्षी से कोई बातचीत नहीं हुई थी। अनीता को गए 8 दिन हुआ था। अनीता अपने ससुराल में 8 दिन ही रही थी। मैंने अपनी आंख से घटना को नहीं देखा है। अभियोजन साक्षी संख्या- 2. योगेन्द्र परिहार (PW- 2) सूचक सुरेश परिहार के भाई के अनुसार अनीता देवी की शादी ग्राम कुसौल में घटना के डेढ़ महीना पूर्व हुई थी। अनीता देवी के साथ उसके ससुराल वाले 600/- रूपया के लिए हमेशा मारपीट करते थे। गांव कुसौल से खबर आया कि सुरेश परिहार की लड़की अनीता देवी काफी सीरियस है। मैं सुरेश परिवार के साथ ग्राम कुसौल गया। मैंने देखा कि अनीता देवी खटिया पर सोई थी एवं मुंह में कपड़ा ठूँसा गया था तथा उसका हाथ बंधा था। अनीता देवी के मुंह एवं नाक से खून निकल रहा था। हमको बुझाया की अनीता देवी को मेरे दामाद, समधिन तथा समधी ने गला दबाकर मार दिया है। इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि ससुराल जाने पर अनीता देवी से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। विदाई के बाद में घर पर नहीं था। अनीता देवी के मरने के बाद अभियुक्तों से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। घटना को मैंने अपने आंखों से नहीं देखा है। अनीता देवी शादी के बाद ससुराल में मात्र 6 दिन रही थी। जब हम लोग अनीता देवी को देखने घर के अंदर अनीता के ससुराल में गए तो किसी ने हम लोगों का विरोध नहीं किया था। अभियोजन साक्षी संख्या- 3. अशोक परिहार (PW- 3) ने दिनांक 23.11.2007 को मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि मैंने सुना की मोहन चौधरी ने अनीता देवी को गला दबाकर मार दिया है। मोहन के अलावा अन्य आदमी अनीता को मारने में थे अथवा नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं। इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि पुलिस से मेरी मुलाकात ग्राम कुसौल में हुई थी। मोहन के पिताजी को अनीता देवी की शादी के समय से ही मैं पहचानता हूं। अनीता देवी के घर में मोहन की मां, मोहन की चाची एवं सुखदेव से हमारी भेंट हुई थी। सुखदेव का दो घर है। मोहन भी उसी घर में रहता है। सुखदेव का एक घर पूरब तरफ तथा दूसरा घर पश्चिम तरफ है। पूरब वाले घर का मुंह पश्चिम तरफ है। यह ईट टीन का छतदार घर है। मैंने अपने ही गांव कुशियारी में सुना था कि मोहन ने अनीता देवी का गला दबाकर मार दिया है। अभियोजन साक्षी संख्या- 4. मोहम्मद हबीब आलम (PW- 4) ने मुख्य परीक्षण मैं कहा है कि हमने गांव में सुना की अनिता देवी को जान से मार दिया गया है। अनीता देवी के ससुराल गए थे। हमको मालूम हुआ कि दहेज के कारण उपरोक्त घटना घटित हुई है। अनीता के पति का नाम मोहन चौधरी था। मोहन चौधरी को मैं पहचानता हूं, अन्य अभियुक्तों को मैं नहीं पहचान सकता हूं। इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में कहा है

कि मैंने घटना नहीं देखा है। मैंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर गवाही दिया है। अभियोजन साक्षी संख्या- 5. सुबोध कुमार दास (PW- 5) ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि अनीता देवी की शादी मोहन के साथ ग्राम कुसौल में हुई थी। अनीता देवी शादी के बाद ससुराल गई। 7-8 दिन बाद हमने सुना कि अनीता देवी को मार दिया गया है। किसने मारा मैंने नहीं देखा है। मैंने सुना कि अनीता देवी को दहेज के लिए मार दिया गया है। मोहन कुमार चौधरी को मैं पहचान सकता हूं। इन्होंने प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि मैंने जो सुना है उसी के आधार पर गवाही दिया है। मैंने कोई घटना नहीं देखा है। चिकित्सक न्यायालय में उपस्थित होकर शव परीक्षा प्रतिवेदन पर अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर की पहचान किया है तथा शव परीक्षा प्रतिवेदन को साबित किया है जिसे प्रदर्श P-1/PW-9. अंकित किया गया है तथा चिकित्सक के अनुसार Cause of death:- In my opinion, the cause of death is throttling है।

26. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि अनीता देवी की मृत्यु हुयी है तथा उसके शव परीक्षण में पाया गया है कि उसकी मृत्यु गला दबाने से हुयी है, परन्तु किन परिस्थितियों में उसकी गला दबाकर मृत्यु की गयी है, अभियोजन द्वारा इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। मात्र कुछ परिस्थितियां ही अभिलेख पर उपलब्ध हैं और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय पारित किया जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का उचित विश्लेषण और मूल्यांकन करते हुये अधीनस्थ अदालतों का मार्गदर्शन किया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय भीम सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, (2015) 4 SCC 281, धनराज बनाम हरियाणा राज्य, (2014) 6 SCC 745, धर्म देव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 5 SCC 509 एवं शरद बिरधिचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 SCC 116 एवं अन्य मामलो में पारित निर्णयों में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं:-

a. जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए या होना चाहिए, न कि केवल 'हो सकता है'।
b. इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।
c. उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।
d. माननीय उचतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य और दोषसिद्धि के संबंध में प्रतिपादित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य और दोषसिद्धि के लिये निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक होता है अर्थात परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को पूरा करना चाहिए-
    1. जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जाता है, उन्हें स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए।
    2. वे परिस्थितियाँ निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अचूक रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों।
    3. परिस्थितियों को संचयी रूप से लिया जाए तो एक ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर

19.05.26

अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और किसी और ने नहीं।

माननीय न्यायालय ने भीमसिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, (2015) 4 SCC 281 के मामले में मत व्यक्त किया है कि दोषसिद्धि के लिए अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए लेकिन उसकी निर्दोषिता के साथ असंगत होने चाहिए दूसरे शब्दों में, परिस्थितियों को साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले को सावित करने के लिये परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए अर्थात जब दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर होनी है, तो परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यदि श्रृंखला में कोई रुकावट है, तो अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। यदि श्रृंखला में कुछ परिस्थितियों को किसी अन्य उचित परिकल्पना द्वारा समझाया जा सकता है, तो भी अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। लेकिन साक्ष्यों का आकलन करते समय काल्पनिक संभावनाओं का कोई स्थान नहीं है। न्यायालय सामान्य मानवीय संभावनाओं पर विचार करता है। इसी प्रकार अशोक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2015) SCC 393 के मामले में माननीय न्यायालय ने कहा है कि अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए पर्याप्त सबूत पेश करने का प्रारंभिक भार अभियोजन पक्ष पर है। प्रस्तुत मामले में मृतिका के पिता सूचक एवं माँ द्वारा न्यायालय में दिए गए बयान के अनुसार उसे मृतिका ने दहेज की माँग अथवा दहेज़ प्रताड़ना के संबंध कुछ नहीं कहा था अभियुक्तों के ग्रामीण से दहेज़ के लिए हत्या किये जाने की बात का पता चलना कहा है। किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा घटना को देखने का बयान नहीं दिया है और न दहेज़ की माग किये जाने के संबंध में मृतिका द्वारा किसी से कुछ कहे जाने की बात नहीं कहा है। घटना के संबंध में सभी साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं।

अभिलेख अवलोकन से विदित है कि मृतिका का पति अभियुक्त मोहन परिहार घटना होने के बाद से निरन्तर फरार रहा है तथा अभी तक उसे गिरफ्तार किये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं है, परन्तु साक्षियों के बयान के अनुसार मामले में बिचारण का सामना कर रहे अभियुक्त मृतिका के सास, ससुर घटना के बाद घटनास्थल पर उपस्थित थे। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धार्थ उर्फ वशिष्ठ मनु शर्मा बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य, राज्य 2010(69) SCC 833 (SC) के मामले में पारित आदेश में फरार आरोपी के आचरण को सुसंगत माना गया है। यह माना गया है कि ऐसे मामले में आरोपी का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बहुत प्रासंगिक है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मकसद साबित होना चाहिए, केवल परिस्थितजन्य साक्ष्य के आधार पर आपराधिक मुकदमों में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि अगर अभियोजन पक्ष का मामला पारिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तो उसे अभियुक्त का मकसद साबित करना चाहिए। अभियोजन द्वारा मामले में बिचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों द्वारा दहेज़ की मांग पूरा नहीं करने एवं लड़की को बेचने के ख्याल से मुंबई ले जाने एवं मुंबई जाने से मृतिका के इनकार किये जाने की संभावना व्यक्त किया गया है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही उसकी शादी हुई थी तथा उसकी मृत्यु स्वाभाविक परिस्थितयों से भिन्न दशा में हुयी है जो दहेज़ मृत्यु के परिभाषा के आवश्यक तत्व हैं तथा घटना के दिन से ही मृतिका का पति अभी तक फरार है जबकि मामला वार्ष 2006 का पुराना मामला है परन्तु अभियोजन द्वारा मामले में बिचारण का सामना कर रहे अभियुक्त मृतिका के सास-ससुर सुखदेव परिहार उर्फ सुखदेव चौधरी एवं सबिता देवी के द्वारा अनीता देवी की मृत्यु के ठीक पहले दहेज की मांग या उसके संबंध में क्रूरता या प्रपीड़न करने के तथ्य को साबित नहीं किया गया है।

19.05.26

Present:- Mahendra Prasad Yadava Addl.S.J.- IX, Katihar, Court No.-10
S.T. No.- 146/2007, Azamnagar P.S. Case No.- 102/2006, G.R.No.- 1343/2006

State (Through: Suresh Parihar) vs. Sukhdev Chaudhary & Others

इस प्रकार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि अभियोजन ने अभियुक्त 1. सुखदेव परिहार उर्फ सुखदेव चौधरी एवं 2. सबिता देवी के विरुद्ध धारा 302/34 भा०दं०वि० के अन्तर्गत के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, फलत: आदेश पारित किया जाता है:-

आदेश

प्रस्तुत मामले के अभियुक्त 1. सुखदेव परिहार उर्फ सुखदेव चौधरी पे० स्व० छेदी परिहार एवं 2. सबिता देवी पति सुखदेव परिहार उर्फ सुखदेव चौधरी को धारा 304(B)/34 भा०दं०वि० के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानत प्रपत्रों को निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभुओं को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।
दिनांक: 19.05.2026

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2026 को उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में मेरे द्वारा टंकित, शुद्धित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।
दिनांक: 19.05.2026

The court of Additional Sessions Judge 9th, Katihar.

District:- Katihar (Bihar)

Present:- Mahendra Prasad Yadava
Judgement Date:- 19.05.2026

Session Trial No.- 146/2007
G.R.No.- 1343/2006,C.I.S. No.- 1660/2014

Azamnagar P.S. Case No.- 102/2006,
F.I.R. U/Sec.- 304(B)/34 of the IPC.
(Cognizance U/Sec.- 304(B)/34 of the IPC.
Charge U/Sec.- 304(B)/34 of the IPC.

Informant	Suresh Parihar s/o Madhusudan Parihar Village:- Kusiyari, P.S.:- Pranpur, District:- Katihar, Bihar.
Presented by:-	Ld. Addl. Public Prosecutor Sri:- Sardar Yashvant Singh.
Accused:-	1. Sukhdev Parihar @ Sukhdev Chaudhary s/o Late Chhedi Parihar aged about 65 Years. 2. Sabita Devi w/o Sukhdev Parihar @ Sukhdev Chaudhary aged about 55 Years. Village:- Vahidnagar, P.S.:- Falka, District:- Katihar, Bihar.
Presented by:-	Ld. Adv. Md. Hassan

FORM-B

Date of Offence	21/09/2006
Date of Complaint	23/09/2006
Date of Chargesheet	12/01/2007
Date of Framing of Charges	29/05/2007
Date of Commencement of evidence	20/09/2007
Date on which Judgement is reserved	18/05/2026
Date of Judgment	19/05/2026
Date of Sentencing Order, if any	

Accused Details:

Rank of Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period Detention Undergone During trial for Purpose of section 428, Cr.PC
1.	Sukhdev Parihar @ Sukhdev Chaudhary	17.10.2006	30.05.2007	U/Sec.-304(B) /34 of the IPC.	Acquitted	None	None
2.	Sabita Devi	17.1020.06	30.0520.07	U/Sec.-304(B) /34 of the IPC.	Acquitted	None	None

(signature) 18.05.2026

(Mahendra Prasad Yadava)
Addl. Sessions Judge- IX, Katihar.
Date:- 18:05:2026

Present:- Mahendra Prasad Yadava Addl.S.J.- IX, Katihar, Court No.-10
S.T. No.- 146/2007, Azamnagar P.S. Case No.- 102/2006, G.R.No.- 1343/2006

State (Through: Suresh Parihar) vs. Sukhdev Chaudhary & Others

APPENDIX

The court of Additional Sessions Judge 9th, Katihar.

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
PW- 1.	Prithvi Parihar	Independent Witness
PW- 2.	Yogendra Parihar	Uncle of deceased
PW- 3.	Ashok Parihar	Brother of deceased
PW- 4.	Md. Mahboob	Independent Witness
PW- 5.	Subodh Kr. Das	Independent Witness
PW- 6.	Suresh Parihar	Informant Witness
PW- 7.	Revati Devi	Mother of deceased
PW- 8.	Bhuban Parihar	Hostile Witness
PW- 9.	Dr. Ram Rekha Suman	Doctor

B. Defence Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
DW- 1		

C. Court Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
DW1	None	None

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTEXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit P- 1/PW- 9.	Post Mortem Report of Anita Devi

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit D-1/DW1	None

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit C-1/CW1	None

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1.	MO- 1	None

19-05-2026

(Mahendra Prasad Yadava)
Addl. Sessions Judge- IX, Katihar.
Date:- 19:05:2026